1420

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

TREASURY
2 MAR 2020

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 786822

न्यास पत्र

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 15/ 06 / 2020 श्री रितेश कुमार सिंह (आधार नं0 6732 2489 6446 पैन–डीआईएपीएस9354ई) व श्री रजत कुमार सिंह (आधार नं0 2559 5748 9219 पैन–डीआईएपीएस8956एन) पुत्रगण श्री राज बहादुर सिंह निवासीगण ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। द्वारा जिन्हे उक्त विलेख में इसके पश्चात संस्थापक / मैनेजिंग ट्रस्टी कहा गया है, जनपद नॉएडा मे तहरीर किया गया।

इस ट्रस्ट की स्थापना श्री रितेश कुमार सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष व श्री रजत कुमार सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। ने अंकन 10000/ से [illegible] मे स्थापित किया।

Scanned with CamScanner

6/15/2020

क्रम संख्या 33 स्टाम्प विक्रय की तिथि 11/03/2020

स्टाम्प क्रय [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 500

दया राम [illegible] स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर-325

लाइसेंस की नवीनीकरण की तिथि 31-3-90

[illegible] विक्रय करने का स्थान [illegible] नं० 198 [illegible]

[illegible] कोर्ट कचहरी के सामने गाजियाबाद

मै० सौनिक चैरिटेबल ट्रस्ट

[illegible]

आवेदन सं०: 202000739032023

न्यास पत्र

वर्ष: 2020

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 1420

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 1120

श्री रितेश कुमार सिंह ,
पुत्र श्री राज बहादुर सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ई 717 डी डीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकेट 3 द्वारका नई दिल्ली

Ritesh

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 15/06/2020 एवं 12:59:56 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दयानन्द प्रभारी
उप निबंधक :सदर पंचम
गाजियाबाद
15/06/2020

गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
निबंधक लिपिक

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350477

2

इस ट्रस्ट का नाम न्यू सैनिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा।

तथा इस ट्रस्ट का प्रथम मुख्य कार्यालय का पता गोयल एन्कलेव अकबरपुर बहरामपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 होगा।

तथा आवश्यकता अनुसार ट्रस्टीयों के बहुमत के निर्णय से अन्य स्थानों पर इसकी अलग अलग जगहों पर शाखाएं भी खोली जा सकेगी।

इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत होगा।

Scanned with CamScanner

74/33 11/03/20

बही संख्या... आवेदन सं० 202000739032823 स्टाम्प विक्रय की तिथि...
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता... मै० सैनिक पेट्रिकल ट्रस्ट
स्टाम्प की धनराशि...

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 1420 वर्ष: 2020

दया ... स्टाम्प ...

निष्पादित लेखपत्र वाद सुनने व ... प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रितेश कुमार सिंह, पुत्र श्री राज बहादुर सिंह

निवासी: ई 717 डी डीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकेट 3 द्वारका नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

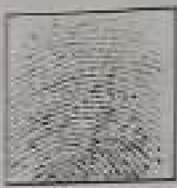

न्यासी: 2

श्री रजत कुमार सिंह, पुत्र श्री राज बहादुर सिंह

निवासी: ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकेट 3 द्वारका नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

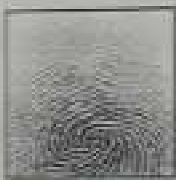

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री आनन्द कुमार सिंह , पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह

निवासी: ग्राम व् पोस्ट चकरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश

व्यवसाय: अन्य

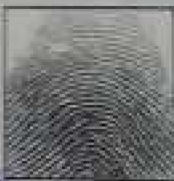

पहचानकर्ता : 2

श्री रोशन सिंह , पुत्र श्री रण बहादुर सिंह

निवासी: टैक 115 गली न० 82 महावीर एन्क्लेव नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी:

दयानन्द प्रभौरी
उप निबंधक : सदर पंचम
गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
निबंधक लिपिक

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350478

3

यह ट्रस्ट स्व0 श्री जगरनाथ सिंह, की प्रेरणा से बनाया जा रहा है।

निम्नलिखित प्रथम दो ट्रस्टीगण ट्रस्ट न्यू सैनिक चैरिटेबल ट्रस्ट पता गोयल एन्कलेव अकबरपुर बहरामपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 में आजीवन ट्रस्टी रहेंगे।

Ritesh

Ajaysingh

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350479

जिनके नाम व पत्ते निम्न प्रकार है :-

1 रितेश कुमार सिह व श्री रजत कुमार सिंह पुत्रगण श्री राज बहादुर सिंह

पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली।

2 श्रीमती मनीषा सिंह पत्नी श्री रितेश कुमार सिंह

पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली।

3 श्रीमती कृति पत्नी श्री रजत कुमार सिंह

पता सीसीएल कालोनी चरही हजारीबाग झारखण्ड।

Ritesh

Rajat singh

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350475

ट्रस्ट के उददेश्य निम्नवत होंगे

बिना लिंग भेद किये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सब के लिए प्राथमिक पाठशाला अनु०कन्या प्रा०पाठशाला जूनियर हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज , महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,वअन्य इंस्टिट्यूट आफ एजूकेशन पब्लिकेशन आदि को संचालन करना मेडिकल एवं इंजीनियरिं गकालेज, संस्कृत महाविद्यालय के माध्यम से प्रथमा , मध्यमा शास्त्री,आचार्य बी0 एड0 बी0 पी0 एड0 (विशेष शिक्षा) डी 0 एल0 एड0 (विशेष शिक्षा) डी0एड0,बी0टी0 सी0(विशेष शिक्षा) बी0 एल0 एड0, सी0 बी0 एस0 ई0 , आई०सी०एस०,वाचनालयों ,प्रयोगशाला चिकित्सालयों , वृद्धा आश्रमो , अनुसंधान केन्द्र , छात्रोंकेलिएकम्प्यूटरकेन्द्रो , निराश्रित सर्वेक्षणकेन्द्र सामुदायिक विकास केन्द्रों ,पर्यावरण एडस उत्थान केन्द्रों तथा ऐसे अन्य केन्द्रों जो जनहित मे स्थापित , नामकरण , विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है कि उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान कि जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं समाजिक संस्थाओ की स्थापना करना तथा संचालन करना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों , विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों एवं जनहित मे

इंजीनियरिंग कॉलेज, मू०नी०बाई

Pibek

Kuwar Singh

Scanned with CamScanner

कार्य । करना आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत , अनुमोदित , स्वीकृत करा सकना

2. ग्राम विकास अभिकरण की गति विधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटान रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना एवं सूक्ष्म लघु उद्योग , ईंट भट्ठा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर आदि कार्य के साथ शेयर एवं आर्थिक उद्योगों को सम्पादित करना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना प्रमुख कार्य की स्थापना करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उस के विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन समाज कल्याण नवार्ड, कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद , युवा कल्याण , ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों का संचालन करना।

Bijendra

Kajal Singh

Scanned with CamScanner

10.आई0आई0टी, आई॰टी॰आई॰ , फार्मेसी , नर्सट्रेनिंग , आपरेशन , टेक्निशियनलैब , टेक्निशियन , फिजियोथेरेपी , आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों व अन्य सेवा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना जो जनहित में हो।

11.समाज के लोगों के लिए हास्पिटल , नर्सिंगहोम , स्वास्थ्यकेन्द्र , मेडिकलस्टोर , जनरलस्टोर , किरानेकीदुकान , फोटोस्टेट , टाइपिंग , कम्पनी , फर्म आदि की व्यवस्था करना।

12.पुस्तकालय , वाचनालय , पत्र - पत्रिकाओं समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्यका निर्धारण करना।

13.अंधे, गूंगे, बहरे व असहाय लोगों के लिए शिक्षा , चिकित्सा , आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना।

14.विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा प्रायोगिक , कला , वाणिज्य , वैज्ञानिक , क्रीड़ा मार्शल आर्टस , संगीत तकनीकी , सामाजिक आधुनिक भाषा , अंग्रेजी , उर्दू , कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्नस्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15.विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं में छात्र - छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उन के अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

16.पुस्तको, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रणवितरण

17.सांस्कृतिक कार्यक्रम, एड्स कार्य क्रम अधिवेशन, सम्मेलन, प्रतियोगिता बैठक विशेष कार्यकम कक्षायें सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

18.सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

Dilek

Kyasingh

Scanned with CamScanner

19.व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों प्रशिक्षण कॉलेजों इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उन को इस ट्रस्ट में समायोजित करना।

20.ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न, अन्तर्राष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग दान, अनुदान, चन्दा शुल्क या धन प्राप्त करना तथा यथाविधि रसीद निर्गत करना।

21.विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

22.आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उनका प्रचार प्रसार करना।

23.कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रचार प्रसार करना।

24.पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमिनार करना।

25.एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार करना।

26.पुस्तक,पुस्तिकाओं पत्रपत्रिकाओं, समाचार पत्र को प्रकाशित, सम्पादित वितरित एवं बिक्री करना।

27.ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क / मूल्य / निर्धारित करना तथा प्राप्त करना |

28.प्रचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें करना।

29.उपभोक्ता अधिकार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

Scanned with CamScanner

30.ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सूक्ष्म ऋण प्रदान करना।

31.जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर क्रियान्वयन करना।

32.विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

33.विभिन्न संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकलकॉलेज / इजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना।

34.ट्रस्ट के कोष एव संपदा में वृद्धि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।

35.ट्रस्ट जन सामान्य के लिए द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें / वस्तुएँ । लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा।

36.ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा , जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

37.ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

38.किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करेगा।

39.किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों, रासायनिक दवा की जानकारी देना, फल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना।

Thakur

Roop Singh

Scanned with CamScanner

40.बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके उनकी कृतियों का समाज में प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध विहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

41.शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा इस निमित्त पत्रपत्रिकाओं अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना।

42.मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति के अंग प्राप्त कर उसे जरूरत मंदों को प्रदान करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना।

43.उपरोक्त सभी कार्यों को क्रियान्वयन करने हेतु देशी विदेशी संस्थाओं से दान लेकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से सारे कार्यों का सम्पादन करना तथा दान, अनुदान अथवा ऋण प्राप्त करना संस्था का मुख्य कार्य होगा।

44.गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के राजकीय राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

45.अल्प संख्यक समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29व अन्तर्गत मुस्लिम माइनॉरिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसो मकतबो, तहतानियाफौकानिया आलिया हाफिज, कारी, मुशी, मौलवी, आलिम्कामिल, फाजिल मुफ्ती निश्वा मदरसों तथा उच्चस्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना।

46.बौद्ध विहार की चल / अचल सम्पत्ति की देख भाल व सुरक्षा करना।

47.समय समय पर बौद्ध धर्म दीक्षान्त समारोह का आयोजन तथा दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना।

Rijesh

Kaydu singh

Scanned with CamScanner

48.दलित शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

49.ट्रस्ट हित में ट्रस्ट या किसी संस्था की सम्पत्ति तथा भूमि भवन का क्रय विक्रय (बेचना व खरीदना) दान, बन्धक, एग्रीमेंट, पट्टे तथा भाड़े आदि पर लेने और देने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

50.ट्रस्ट (न्यास) न्यासकर्ता / प्रबन्धक /अध्यक्ष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या प्राइवेट बैंक लि. में ट्रस्ट का खाता खोलना व उसका संचालन कर सकता है

51.कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आई0 टी0 ई0 पॉलिटेक्निक एंगीनीइंजीनियरिंग कालेजो मेडिकल कालेजो आदि सी0 बी0 एस0 ई0, आई0 सी0 एस0 ई0 उ0 प्र0 सरकार एव भारत सरकार द्वारा प्रदान कि जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एव समाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।

52.ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकास के लिए सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों राष्ट्रीयकृत बैंकों(बन्ध पत्र या विना बन्ध पत्र के) साविध श्रण या पूजी गत ऋण प्राप्त करना।

सभी दो प्रथम आजीवन ट्रस्टी सर्वसम्मति से ट्रस्ट न्यू सैनिक चैरिटेबल ट्रस्ट पता गोयल एन्कलेव अकबरपुर बहरामपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए है जो की निम्न प्रकार होगी

मैनेजिंग कमेटी

मैनेजिंग ट्रस्टी - श्री रितेश कुमार सिंह व श्री रजत कुमार सिंह पुत्रगण श्री राज बहादुर सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा आजीवन संस्थापक रहेंगे |

1 श्री रितेश कुमार सिह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। — अध्यक्ष

2 श्री रजत कुमार सिह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह उम्र लगभग 23 वर्ष
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। — उपाध्यक्ष

3 राज बहादुर सिंह पुत्र श्री जगरनाथ सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष
पता ऐफ 115 गली न. 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 द्वारका नई दिल्ली — सचिव

4 बिन्दा सिंह पत्नी स्व: श्री ब्रहमानंद उम्र लगभग 55 वर्ष
पता [illegible] एफ 115 गाली न.82 महावीर एन्क्लेव पार्ट 3 डी के मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली — उपसचिव

5 श्रीमती शोभा सिह पत्नी श्री राज बहादुर सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। — कोषाध्यक्ष

6 विशाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्मानंद सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष
पता [illegible] एफ 115 गाली न.82 महावीर एन्क्लेव पार्ट 3 डी के मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली — सदस्य

7 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री मिथिलेश कुमार सिंह उम्र लगभग 44 वर्ष
पता डी 6 नेहरू गार्डन खोडा कालोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। — सदस्य

8. श्री रोशन सिंह पुत्र श्री रण बहादुर सिंह उम्र लगभग 20 वर्ष
पता एफ 115 गली नं0 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 दिल्ली। — सदस्य

9. श्री रण बहादुर सिह पुत्र श्री जगरनाथ सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष
पता एफ 115 गली नं0 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 दिल्ली। — सदस्य

Scanned with CamScanner

प्राम्भिक उपबन्ध

1. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष / प्रबन्धक श्री रितेश कुमार सिंह व श्री रजत कुमार सिह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह की मृत्यु के पश्चात इन के विधिक वारिस ट्रस्टी होगें यह क्रम वंशागत (पीढ़ी दर पीढ़ी) चलता रहेगा ।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियो को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

मैनेजिंगट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक / चेयरमैनपदकाउत्तरदाधिकारी / हस्तानान्तरण।

1. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे ।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल मे ही मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक को प्रदत्त किये गये हैं
4. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एव व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा मे मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष प्रबन्धक बनेगा कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है |

Scanned with CamScanner

5. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक को चाहिये कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराले अथवा अपनी वसीयत भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संदर्भ मे यह स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध मे की गयी वसीयत / इच्छा / व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक अपने जीवन काल मे अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप मे हस्तानान्तारित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनःविचार कर सकेगा।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक द्वारा अपने उतराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकार सहित पूर्ण माना जायेगा।

मैनेजिंग कमेटी

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज / मैनेजिंग कमेटी का गठन कर सकताहै

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक / की इच्छा पर निर्भर करता है कि तथा मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबधक किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी कारण बताये उसे उसके पद से हटा सकता है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक जब भी उचित समझे मैनेजिंग कमेटी की बैठक आवश्यक सूचना पर आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष / प्रबन्धक स्वंय करेगा।

4. यह कि मैनेजिंग कमेटी उन्ही विषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Pritesh

R.p.singh

Scanned with CamScanner

5. यह कि मैनेजिंग कमेटी द्वारा किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष / प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ मे मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एंव अन्तिम होगा

अध्यक्ष / प्रबन्धक / मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य काल एवं सुविधायें

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक / को ट्रस्ट विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एंव वाहन की सुविधा के स्तरको सुनिश्चित करने मे मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबधक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि अध्यक्ष / प्रबंधक ट्रस्टी अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक / भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

कार्यक्षेत्र

1. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्वके किसी राष्ट्रीय व्यक्ति विशेष से सहायता एव राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

Pinch Kyarsingh

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक का विशेषाधिकार

1. मैनेजिंग ट्रस्ट / अध्यक्ष / प्रबंधक को विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत कर देंय या संसोधित कर दें । मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक ट्रस्ट कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एव स्वीकार होगा।

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गये कार्य करना तथा उनके कार्यों में सहयोग देना
2. ट्रस्ट के हित में कार्य करना

सचिव

1. ट्रस्ट के **अभिलेखों** का रख रखाव करना व मीटिंग की कारवाही को रजिस्टर में दर्ज करना , अभिलेख पूर्ण करना |
2. **मैनेजिंग** ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक के द्वारा दिये गये कार्यो को करना
3. ट्रस्ट के हित में कार्य करना

Rijesh Kyarsingh

Scanned with CamScanner

उपसचिव

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गये कार्य करना तथा उनके कार्यों में सहयोग देना
2. ट्रस्ट के हित में कार्य करना

अध्यक्ष / प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य

यह कि ट्रस्ट डीड के अर्न्तगत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक / को प्राप्त विभिन्न अधिकार एव कार्व्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष / प्रबंधक / मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार एंव कर्तव्य भी होगे।

1. मैनेजिंग कमेटी को बैठक बुलाना एंव उसकी अध्यक्षता करना ।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए उपाध्यक्षा सचिव उपसचिवो की नियुक्ति करना
3. इस ट्रस्ट डीड मे उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एंव नियमावली मे संशोधन / परिवर्तन करना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

बैंक खाता

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक स्वयं ' अथवा उसके द्वारा इस के हैतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत खाता खोल सकता है । अथवा संचालित कर सकता है।

Scanned with CamScanner

2. ट्रस्ट के अन्तगत संचालित ईकाई कार्यरत किसी पाठशाला / विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान / अन्य संस्था / केन्द्र / कार्यक्रम ईकाई कार्यलय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है । इस स्थिती में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष / प्रबन्धक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशो के अंतर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है । अथवा संचालित किया जा सकता है । और सारा आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक से कराया जायेगा ।

विधिक कार्यवाही

1. यदि संस्थान / ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही कि जाती है उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष / प्रबंधक / मैनेजिंग ट्रस्टी कि अनुमति से अधिवक्ता कि नियुक्ति एवं विभन्न न्यायालयों में पैरवी या स्वयं अन्य को अधिकृत कर सकता है ।

सम्पत्ति

1. ट्रस्ट चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सभी अधिकृत अधिकार रखता है जोकि एक नागरिक / व्यक्ति को प्राप्त होता है ।
2. ट्रस्ट कि ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे ट्रस्ट कि ओर से कोई निर्णय लेन / देन विलेख बनाने हेतु आय किसी को अधिकृत कर सकता है ।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट कि ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्धमें कोई लेख विलेख बनाने या निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

Scanned with CamScanner

4. ट्रस्ट चल / अचल सम्पत्ति का क्रय या विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है

5. ट्रस्ट किसी से श्रम दान उपहार भेट सम्मान पुरस्कार स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है ।

6. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना मे धन / सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है

7. चल / अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति भाडा क्रय अनुज्ञापित , बन्धक गिरवी , विभाजित आदि / कर सकता है / ले सकता है / दे सकता है।

विशेष

1. यह ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन प्रसस्ति होगी ।
2. ट्रस्ट द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा
3. इस ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में 10,000 रूपये के अतिरिक्त अन्य कोई चल / अचल सम्पत्ति नहीं है ।
4. अध्यक्ष / प्रबन्धक / मैनेजिंग ट्रस्टी उचित समझे तो किसी / किन्ही परिस्थितियों मे इस ट्रस्ट डीड के किसी / किन्ही प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान / प्राविधानों के होते हुए अन्यथा निर्णय हो सकते है । इस सम्बन्ध मे अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी । इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकती

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350476

20

उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

संस्थापक / मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक / अध्यक्ष
नाम - श्री रितेश कुमार सिंह व श्री रजत कुमार सिंह
पता - ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर द्वारका नई दिल्ली।

गवाह:

1. श्री आनन्द कुमार सिंह पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह
निवासी ग्राम व पोस्ट चकरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश।
आधार नं0 2325 7453 4938

2. श्री रोशन सिंह पुत्र श्री रण बहादुर सिंह
निवासी एफ 115 गली नं0 82 महावीर एन्कलेव
नई दिल्ली।
आधार नं0 6690 5420 5477

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या 38/37 स्टाम्प विक्रय की तिथि 11/03/20

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

आवेदन सं०: 202000739032025

विक्रेता

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 907 के पृष्ठ 281 से 306 तक क्रमांक 1420 पर दिनांक 15/06/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दयानन्द प्रभारी
उप निबंधक : सदर पंचम
गाजियाबाद
15/06/2020

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner

पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र
Certificate of Registered Document.

श्री/श्रीमती/सुश्री **रजत कुमार सिंह** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक **05-04-2021** के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रमाणित किया जाता है कि लेखपत्र जिसका विवरण निम्न है, को कार्यालय उपनिबंधक **सदर पंचम** जनपद **गाजियाबाद** के बही संख्या **4(विविध लेखपत्र)** खण्ड/जिल्द संख्या **907** पृष्ठ संख्या- **261** से **306** क्रमांक **1420** दिनांक **15-06-2020** को निबंधित / पंजीकृत किया गया है ।

- लेखपत्र का प्रकार **न्यास पत्र**
- प्रथम पक्ष का नाम **1.श्री रितेश कुमार सिंह 2.श्री रजत कुमार सिंह**
- द्वितीय पक्ष का नाम
- सम्पत्ति का विवरण **गोयल एन्क्लेव अकबरपुर बहरामपुर गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश,0 हे/ वर्ग मी**
- सम्पत्ति अवस्थिति **सदर पंचम ,गाजियाबाद**
- लेखपत्र में अदा स्टाम्प शुल्क रु० **750/-**
- लेखपत्र में अदा निबंधन शुल्क रु० **1000/-**

उपनिबंधक/ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
कार्यालय सदर पंचम जनपद गाजियाबाद
दिनांक 05-04-2021
(हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर)

सब रजिस्ट्रार पंचम
गाजियाबाद

Scanned with CamScanner